र-पी०५१/२०

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 1100 /रेनुकूट /15–7 दिनांक, रेनुकूट,सितम्बर, 29, ,2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी–गाजीपुर
उत्तर प्रदेश ।

विषयः– जनपद–मीरजापुर, सोनभद्र व वाराणसी में 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित 319.28 हे0 वन भूमि (रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 98.28 हे0) के लीज का आगामी 30 वर्षो के नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018 के संबंध में ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1073/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 28.09.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 28.09.2021 द्वारा विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में प्रभागवार आपत्तियॉ इंगित करते हुए उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त इंगित की गयी कमियो में रेनुकट वन प्रभाग से संबंधित कमियॉ निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1073/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 28.09.2021 में अंकित बिन्दुओ का विवरण ।
1	2
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट , हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक 6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि परस्पर विरोधाभाष है । अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट , हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए संबंधित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करे ।
2	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–5 एवं 10 में अपलोड किये गये प्रमाण–पत्र ओपन नही हो रहा है ।
3	उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव मे संलग्न नही की गयी है । इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नही है । अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर उल्लंधन के फलस्वस्प जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन.0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र जो, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बिन्दु संख्या–3 के निराकरण किये जाने हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र पॉच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित करते हुए उच्च स्तर पर प्रेषित की जा सकें ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

Scanned with CamScanner